standing has been created and attention called in this manner.

Shri Tyagi: Are they meeting in a hill area or on a plain?

Shri H. N. Mukerjee: As I said, it is a plain. There is no suggestion of the hills at all.

Mr. Speaker: That is all.

Shri H. N. Mukerjee: If you look at the picture, it becomes clear.

Mr. Speaker: He has made the point. That is all.

16.22 hrs.

MOTION *RE*: REPORTS OF COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES—*contd.*

श्री ह० च० सौय : अध्यक्ष महोदय, जिस बुनियाद पर और जिस उसूल पर यह माइनरिटी लैंग्वेज कमिशन बना है, वह बहुत अच्छी है, लेकिन कठिनाई जो आती है वह इस उसूल के इम्प्लिमेन्टेशन के सम्बन्ध में आती है । दुःख तो इस बात का है कि जब अपने अपने स्टेट में उस के इम्प्लिमेंटेशन का सवाल आता है तो बड़े से बड़े लोग, जो पब्लिक पोजीशन मे हैं, वे इंटरेस्टेड व्यू रखते हैं । अभी अभी यहां के माननीय और बजुर्ग सदस्य श्री गुहा ने अपने भाषण में इस ब को ट्विस्ट करने की कोशिश की । उन्होंने कहा कि जो ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि वायबल नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाये, उन को हटा दिया जाय । वह एक तरह से इस को ट्विस्ट कर रहे हैं । वे बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन मैं उन को चैलेन्ज दे कर कहता हू कि उन्होंने जो छोटा नागपुर के बारे में कहा है कि वहां जो आदिवासी लैंग्वेज है वह सिर्फ मुंडा, ओरांव आदि लोगों की है । उनको मालूम होना चाहिये कि संथाली लैंग्वेज २४ लाख से अधिक लोग बोलते हैं । हम लोगों की भाषा भी हिन्दी नहीं है । मैं जिस भाषा को बोलता हूं, उस को बोलने वाले भी करीब १५ लाख आदमी हैं । मैं नहीं जानता कि वे क्यों ट्विस्ट देकर कहते हैं कि वायबल यूनिट जो न हों, उनको छोड़ देना चाहिये । खुद उन माननीय सदस्या की स्टेट बंगाल मे बहुत काफी संख्या में संथाल लोग हैं । इसी तरह से उडीसा में भी हैं । सभी जगह पर संथाल लोगों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि माइनारिटीज़ लैंग्वेज़ कमिशन ने और हमारे संविधान ने जो रास्ता बतलाया है वह बिल्कुल दुरुस्त है । लेकिन जब इम्प्लिमेंटेशन की स्टेज़ आती है तो स्टेट्स में उस के खिलाफ काम किया जाता है ।

यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने आदिवासी भाषा को तरक्की देने यानी उस को अपना उचित स्थान देने के बारे में कहा । मैं उनको अफसोस के साथ बतलाना चाहता हूं कि उन सब स्टेट्स में, जहां पर आदिवासी लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आदि प्राइमरी स्टेज में उन की भाषा पढ़ाने पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की गई । मैं बिहार का उदाहरण दूं जहां पर कि सब से अधिक, अर्थात् ३८ लाख आदिवासी रहते हैं । आजादी के पहले तो हमारी भाषाओं को पढ़ाने का कुछ इन्तजाम भी किया गया था, लेकिन आजादी के बाद वहां पर उस को कम करने की कोशिश की जा रही है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Question.

श्री ह० च० सौय : संथाल परगने में जो आदिवासी लैंग्वेज के इन्सपेक्टर थे वे काफी कम कर दिये गये । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हम लोग हिन्दी भाषा को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वह राष्ट्र भाषा है, मगर इस के माने यह नहीं होने चाहियें कि हमें हमारी भाषा को पढ़ने का अधिकार न हो जब कि संविधान में वह दिया गया है ।

मैं लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ कमिशन की रिपोर्ट देखता हूं तो मुझ को बड़ी हैरानी

[श्री ह० च० सौय]

होती है कि रिपोर्ट नं० २ में पेज २७० से लेकर २९७ तक ऐसे हिन्दी स्कूलों के नाम दिये गये हैं जिन में ८० या ९० परसेंट बच्चे आदिवासियों के पढ़ते हैं । बिहार गवर्नमेंट ने इस बात को क्लेम किया है कि इस में जो बच्चे पढ़ाये जा रहे हैं, उन सब की मातृभाषा हिन्दी है । मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी रिपोर्ट गलत है । इस मे जो लिस्ट दी गई है उस में के अधिकतर लोगों की मातृ भाषा आदिवासी भाषा है जिसका इन्तजाम ही नहीं किया गया क्योंकि सरकार उन लोगों को अपनी मातृभाषा आदिवासी पढ़ने का इन्तजाम नहीं करती है ? उन को प्राइमरी स्टेज में भी मजबूर कर के हिन्दी भाषा पढ़ाई जाती है । मैं दोहराना चाहता हूं कि हम लोग अपनी भाषा को पढ़ेंगे, किसी दूसरी भाषा को पढ़ने के लिये हम पर जोर नहीं डालना चाहिये ।

दूसरी बात उड़ीसा के माननीय सदस्य ने कही । उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भाषा की जो भी तरक्की की जाय, लेकिन उन की एक यूनिफार्म स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिये । मैं हैरान हूं कि इतने सीनियर मेम्बर होते हुए भी वे यूनिफार्मिटी क्यों नहीं चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि जितनी आदिवासी भाषायें हैं उन की तरक्की हो और उनकी एक ही स्क्रिप्ट देव नागरी हो इस पर क्यों किसी को एतराज होता है । उन माननीय सदस्य ने कहा है कि सन् १९५२ का इलेक्शन, सन् १९५७ का एलेक्शन जो लड़ा गया वह उड़िया भाषा के आधार पर जीता गया है । यह दलील सरासर गलत है मैं खुद सन् १९५७ मे सराय केला और खरसवां इलाके से बिहार असेम्बली का मेम्बर चुना गया था मैं बतलाना चाहता हूं कि खरसवां सीट से मैं चुना गया था बिहार विधान सभा में, लेकिन मैं इस इश्यू पर मेम्बर नहीं चुना गया हमारा इश्यू झारखंड स्टेट बनाने का था । उड़िया भाषा के नाम पर चुनाव लड़ा भी नहीं गया और जीता भी नहीं गया । कोई भी चुनाव ऐसा नहीं था । जो लोक सभा की सीट धालभूमि की जीती गई या सदर सब डिवीजन और खरसवां का जो प्रतिनिधि यहां आया है वह उड़िया भाषा के इश्यू को ले कर और चुनाव लड़कर यहां नहीं आया है । इस इश्यू को लेकर यह चुनाव लड़ा ही नहीं गया । हमारे सीनियर मेम्बर गलत इम्प्रेशन यहां देना चाहते हैं इस लिये मैं इस का सख्त विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में खरसवां और सरायकेला को उड़ीसा में नहीं मिलाया जाना चाहिये । जहां की भाषा की बात वे कह रहे हैं वहां पर उड़िया लोग माइनरिटी में हैं । वहां पर जितने लोग हैं उन मे से कम से कम ७०, ८० परसेन्ट लोग आदिवासी भाषा बोलते हैं । यह सही है कि चूंकि वह बार्डर का इलाका है इस लिये वहां के लोग हिन्दी भी जानते हैं और उड़िया भी जानते हैं । यह जरूर है कि एक जगह, जो बंगाल के सीनियर मेम्बर हैं उन्होंने दूर तक जा कर यह कहा कि वायबल यूनिट न होने की वजह से उसे खत्म कर देना चाहिये क्योंकि वह कांस्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है । यह सारा झगड़ा ईस्टर्न इंडिया के बिहार, बंगाल और उड़ीसा की ओर हो रहा है , सिर्फ आदिवासी लोगों के इलाके को ले कर । आदिवासियों को आप बैकूअम समझ बैठे हैं, हालांकि हमारी अपनी भाषा है और संविधान कहता है, हमारा लिंग्विस्टिक कमिशन कहता है कि हमें लोगों को अपनी भाषा का अधिकार देना चाहिये । जब हम लोगों को अपनी भाषा का अधिकार दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस में बार्डर स्टेट के लोग भी आ जाते हैं । अगर इस तरह से हो जायेगा तो आदिवासी लोग अपनी भाषा को पढ़ेंगे और उनकी भाषा हिन्दी हो जायेगी । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो सारी स्टेट्स के आदिवासी हैं, उनको लेकर जितने झगड़े

चल रहे हैं उनका निराकरण हो जायेगा यदि उन लोगों को अपनी भाषा पढ़ने का अधिकार दे दिया जाय ।

एक और चीज मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हैं उन्हें हम को प्राइवेट एजेन्सी को नहीं देना चाहिये । गवर्नमेंट को सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये । हम देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की थर्ड फाइव इयर प्लैन में संस्कृत की ओर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है । जहां संस्कृत के विकास के ऊपर बिहार सरकार १ करोड़ रु० का इन्तजाम कर रही है वहां आदिवासियों की भाषाओं की तरक्की के लिये सिर्फ १ लाख रु० खर्च करेगी । मैं समझता हूं कि यह सरासर गलती है । यह तो मैं आपको एक उदाहरण बतला रहा हूं । होना तो यह चाहिये कि जिस भाषा को ३० लाख लोग बोल रहे हैं, उस पर अधिक खर्च होना चाहिये । लेकिन हमारी बिहार गवर्नमेंट इस से उल्टा कर रही है । हमारी पुरानी संस्कृति के नाम पर वह १ करोड़ रु० का इन्तजाम कर रही है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के लिये सिर्फ देने का बहाना कर रही है ।

और एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं । हमको संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि कोर्ट लैंग्वेज उसी सबडिवीजन की भाषा होनी चाहिये, लेकिन बिहार में और अन्य इलाकों में यह नियम लागू नहीं हो रहा है । यह बहुत जल्द होना चाहिये । हम देखते हैं कि जब आफिसर लोग मुफस्सिल में आते हैं तो वहां की भाषा न जानने के कारण उनको गलतफहमी हो जाती है और इस से कठिनाई होती है । होना तो यह चाहिये कि कोर्ट में उस इलाके की भाषा में काम होना चाहिये । मैं गृह मंत्री जी से सविनय अनुरोध करूंगा कि हमारी भाषा के बारे में जांच होनी चाहिये और इस विषय में राज्य सरकारें जो गलती कर रही हैं उनसे कहा जाये कि नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर हमारी भाषा को बढ़ने का अधिकार होना चाहिये । ऐसा न हो कि संविधान में कुछ कहा गया हो मगर भाषा के मामले में हमको सैकिंडरेट सिटीजन माना जाये । यह सरासर अन्याय होगा । इस लिये मैंने यह निवेदन किया है ।

Shri T. Abdul Wahid (Vellore): By peculiarity of circumstances, my mother tongue happens to be Urdu.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Why not speak in Urdu?

Shri T. Abdul Wahid: But I shall tell you the disadvantages which I am suffering from. That is why I am speaking here.

My mother tongue happens to be Urdu, but as you know, the State language of my State happens to be Tamil, and you can realise what disadvantages I suffer from.

Of course, I follow Tamil, I can speak and read Tamil, and my business is being carried on in Tamil, but still I cannot speak with that fluency with which my brother Tamilians can. I cannot address public meetings in such fluent Tamil as my brothers can. I found this when I was addressing election meetings. Even after the elections, I realise this difficulty. I want that every Muslim brother whose mother tongue is Urdu should not be at such a disadvantage.

I am managing two high schools, one in Madras and one in [illegible] town of Ambur. I have [illegible] Urdu as the second language there, but the medium of instruction is compulsorily Tamil. I find from the results of the examinations that the boys whose mother tongue was Urdu, and who were claiming that they would learn nothing but Urdu, have done much better than boys in other high schools in my own town like the Hindu High School and the Mission High School where the mother tongue of the boys happens to be Tamil.

[Shri T. Abdul Wahid]

What I want to say is this, that this prejudice against the State language is only just a prejudice. I wanted to be practical, to see that boys whose mother tongue happens to be Urdu should not be at a disadvantage afterwards.

Today we go on asserting that because our mother tongue is Urdu, we should learn only Urdu, we will speak only Urdu, the medium of instruction should be only Urdu etc., but our children will be at a disadvantage. We have to be practical. We are in a State where the language of the majority is going to be the State language. My mother tongue may be Urdu. I do not have to leave it. What I have done for that is this. I have made Urdu a secondary language, while the medium of instruction is Tamil. The boys are getting on very well, and I think they are going to fit in in the State very well.

I am no less an enthusiast of Urdu than my Muslim brethren who insist very much on Urdu, but I want to point out to them that though my mother tongue happens to be Urdu and all my family members speak it, at the same time I want to be practical. I do not want Muslims to become second-rate citizens and discriminated against in the services.

If there is discrimination in the services, it is not because one happens to be a Muslim or one happens to know Urdu, but because the language of the State happens to be Tamil or Kannada or Telugu, and naturally the State would prefer people who know the State language. There has been a lot of complaint here that linguistic minorities are being discriminated against, that they are not being recruited to the services. It may be true, but the difficulty of the State Government should be appreciated. They want to be practical, they want to take in people who can administer the State in the State language. What is the meaning of their recruiting people who do not know the State language? Then the administration will suffer, and the candidate will be at a disadvantage, he will not be able to administer the State.

So, I would say it is better to be practical. The linguistic minorities in the States should learn the State language as compulsorily as they have been learning English hitherto. Why this particular prejudice against the State language? Let them learn their own mother tongue as a secondary language.

There has been some kind of prejudice against Urdu also. Some speakers said it should not be given importance and all that. I do not want discrimination against Urdu or Tamil or any other language. I want to be practical.

Let us study the tendency of the children. I tried to see that Tamil was introduced in the elementary stage itself. I wanted to make Tamil the medium of instruction for Urdu-speaking children even in the elementary school, but I found they were not able to make progress. I started with my own family, and I put my daughter in the Tamil school, but I found that she was not able to pick up. Then I realised that because her mother tongue was Urdu, in the elementary stages it was better to have the mother tongue as the medium of instruction. So, I changed it to Urdu and I found she was getting on well.

So, up to the elementary standard we should allow the children of the linguistic minorities to study in their mother tongue, but after that the medium of instruction should be made compulsorily the State language. Then only can they fit in into the State. I am not saying this in the interests of the State itself or in the interests of the majority of the people who live in the State, but in the interests of the linguistic minorities themselves; if they want to reap the full advan-

tage, they should be practical and fit themselves in the State.

Of course, the same applies in regard to the all-India question also. If we want to be real citizens, to reap the full benefit of the administration and everything here, we have to learn the national language which happens to be Hindi. We need not have any prejudice. We can still learn our mother tongue along with the national language. Just as we have to learn the State language in order to have a share in the State administration and to fit in with the State, similarly Hindi should be studied compulsorily as otherwise we would be discriminated against in the national sphere. I want to be frank. The Hindi-speaking people from Bihar and U.P. will go ahead of us, and will capture the entire administration of the Central Government if we do not learn Hindi. We do not want that. We should be practical, we should learn Hindi, so that we will retain a share of the administration of the country.

Mr. Speaker: Shri M. L. Jadhav. He will very kindly be very brief.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): I rise to make certain observations on the reports that are before the House.

In the first place, I am of opinion that in India where there are a number of communities, religions and languages, it is necessary for the unity of the country, for the integration of the country and for the well being of the country, that the national language, Hindi, should develop as a language. But for all higher commissions and higher posts we find that English is essentially the language in which one has to be proficient; otherwise, one does not get admission for a commission or for a higher post.

Naturally, mother-tongue is necessary for the primary stage. And, at the primary stage, education in the mother-tongue is essential. People find it difficult to send their children for secondary or higher education. It is very essential that their children should be taught through the medium of the mother-tongue.

There are border areas, where there are linguistic minorities; for instance, in Madhya Pradesh or the border of Mysore. There are also areas as in the Dangs. For instance, Dangs is an area where there are tribals. I have nothing to say about Dangs being in Gujarat. I only want to stress this, that the language of the Dangs is Marathi. But, we find that in that area there are a number of schools where the medium of instruction is Gujarati. Day by day, Marathi schools are being abolished. In such cases, it is the duty of the Commissioner for Linguistic Minorities to attend to them. The schools where the medium of instruction is the mother-tongue should not be neglected; they should be given proper protection.

In Mysore, we find that people have represented that at least in courts, where law is administered, it should be in the local language. The State has answered that the matter is with the High Court. The State is not in a position to know whether the judge or the magistrate in a particular area is Marathi-knowing or not. I am sorry that when there are about 12 or 15 judicial magistrates, they find it difficult to ascertain whether the magistrates know Marathi or not. The High Court can be requested to see that the magistrates in that area are people who know the local language, so that the evidence recorded and justice administered is understood by the people for whom they are meant.

I submit that it is very necessary that in these areas, protection should be given to the minority language.

श्री प० ला० बारूपाल (गगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषा के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना नहीं चाहूंग क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहा है

[श्री प० ला० बारूपाल]

और बहुतों को अभी भी कहना होगा लेकिन मैं बिलकुल साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में अब ज्यादा देर तक अंग्रेज़ी का बना रहना हितकर न होगा और इस से देश का अहित ही होगा। मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे देश में अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक हमारा देश विशेष तरक्की नहीं कर सकेगा।

अब भाषा का प्रश्न ऐसा है जिसके कि बारे में काफी झगड़ा चलता है। हमें देखना चाहिये कि आखिर इस भाषा के झगड़े को कैसे निबटाया जा सकता है? इस सम्बन्ध में मैं तो अपना यह सुझाव रखना चाहता हूं कि अगर देश की मातृभाषाएं देवनागरी लिपि के माध्यम में पढ़ाई जायं तो यह झगड़ा बहुत हद तक मिट सकता है। अगर तमाम भाषाओं की पढ़ाई के लिए हिन्दी और देवनागरी लिपि को माध्यम बना लिया जाय तो मैं समझता हूं कि देश में एकता की भावना आयेगी : इससे राष्ट्रीय एकता हमारी मजबूत होगी। भारतीय संविधान के अंदर हमारी सरकार ने जो यह गारंटी दी है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी उसको भी बल मिलेगा।

मैं समझता हूं कि इस हाउस के अंदर हमारे कितने लोग ऐसे हैं जोकि पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं। हिन्दी वहां पूरी बोली नहीं जाती है लेकिन हिन्दी को वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब चूंकि यहां पार्लियामेंट में अंग्रेजी का बोलबाला है इस लिए पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग बड़ी डिस्ऐडवांटेज में रहते हैं और यहां जो कुछ कार्यवाही होती है उसको समझने में असमर्थ रहते हैं। चूंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते इस लिए न तो वह समझ पाते हैं और न ही अपने विचार और सुझाव यहां ठीक से रख पाते हैं। सन् १९५२ से लेकर अब तक मैं तीन बार यहां पर चुन कर आया हूं। यह मेरा दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि हमारे जो क्षेत्रीय कठिनाइयों हैं उनको मैं यहां न तो मंत्री महोदय तथा अन्य लोगों को समझा पाता हूं और न ही उनकी बातों और विचारों को समझ पात हूं। सही तौर पर मैं अपने क्षेत्र की कठिनाइयां तभी रख सकता हूं और उनको कंविस कर सकता हूं जबकि यहां पर तमाम कार्यवाही हिन्दी में चले लेकिन वहां तो अंग्रेजी का बोलबाला है। यह ठीक ही कहा जाता है कि अंग्रेज तो भारत से चले गये लेकिन अंग्रेज़ी की बू और अंग्रेज़ी के प्रति मोह अब भी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अफसरान के दिमाग में है।

इस देश के अंदर करीब दस करोड़ आदिवासी और हरिजन भाई बसते हैं। वह अभी भी पिछड़े हुए हैं लेकिन मेरा कहना है कि आप ने उनको दस वर्ष के लिए रिजरवेशन दिया है वह आज के हालात मे नाकाफी सिद्ध होगा क्योंकि अब अंग्रेजी को भी और आगे बढ़ाया जायेगा और जब तक इस देश में अंग्रेज़ी चलती रहेगी तब तक वह हरिजन और पिछड़ी जातियां पीछे पड़ी रहेंगी और अंग्रेजी को लम्बी ज़िंदगी देने का नतीजा यह होने वाला है कि इस दस वर्ष की हरिजनों को रिजरवेशन देने की जो अवधि आपने रक्खी हैं वह अपर्याप्त सिद्ध होगी और रिजरवेशन की अवधि को आप को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए रिजरवेशन नहीं रक्खेंगे तो आज के हालात मे हमारी तरक्की नहीं हो पायेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह हरिजन के लिए रिजरवेशन खत्म हो तो आपको अंग्रेजी को खत्म करना है। आप अंग्रेजी को खत्म कीजिये और मैं आप को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्ट्स की ओर से

विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम को तब रिजरवेशन नहीं चाहिए । हमारी उन्नति की राह में रुकावट का जो मूल कारण है वह यह अंग्रेजी है अगर आप हमारी उन्नति करना चाहते हैं तो इस देश में से अंग्रेजी को जल्द से जल्द निकालिये ।

मैं यहां लोक सभा में राजस्थान से चुन कर आया हूं । अब राजस्थानी हमारी मातृभाषा है । हम इस भाषा के प्रश्न को ले कर लड़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन सदन् को और मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि डेढ़ करोड़ आदिवासियों की मातृभाषा राजस्थानी है । अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान वह भी देश की एक भाषा है लेकिन भारतीय संविधान से उसका कहीं नाम पता नहीं मिलता है और न ही इस रिपोर्ट में कहीं राजस्थानी भाषा का जिक्र आया है । लेकिन जहां मुझे राजस्थानी से मोह है वहां एक भारतीय होने के नाते हिन्दी से कम मोह नहीं है बल्कि उससे अधिक मोह है । जहां मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति की जाये उनके शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय वहां मैं अन्त में फिर यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि इस देश से अंग्रेजी को जल्द से जल्द हटाया जाय और हिन्दी को पूर्ण रूप से उस पद पर बैठाया जाय जो कि आज अंग्रेजी को प्राप्त है । बस मैं इस से ज्यादा इस अवसर पर और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य इस बारे मे अपने विचार प्रकट करने को इच्छुक हैं ।

श्री शिव नारायण (वांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे ऐसे सुन्दर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । यह खेद का विषय है कि आज भी इस देश मे हिन्दी के विरुद्ध कहीं कहीं आवाजें उठ रही हैं । मैं एक हिन्दी भाषी प्रांत अर्थात् उत्तरप्रदेश से यहां आता हूं । मैं समस्त भारतीय भाषाओं का आदर करता हूं और चाहता हूं कि वह फले फूलें । मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी संस्कृत भाषा सब भारतीय भाषाओं की एक प्रकार से जननी है । संस्कृत सब भारतीय भाषाओं की रूट है । संस्कृत भाषा तेलेगू में है, मलयालम मे है और बंगला आदि में है । हर एक की जड़ संस्कृत है । आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइये आप को वहां संस्कृत की रूट मिलेगी । आज हमारे कुछ दक्षिण भारतीय भाई हिन्दी का विरोध करते हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि दक्षिणी भारत के आचार्यों ने इस देश को ऊंचा उठाया था । श्री शंकराचार्य के चारों मठों से भी हम को वह प्रेरणा मिलती हैं । सन् १९४७ के बाद से भारत ऊंचा उठा है । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा हमारी संस्कृत भाषा से है । उससे सारी भाषायें निकली हैं ।

उर्दू का बड़ा प्रशन चलता है । जहां तक इसका सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उर्दू को हम प्रश्रय देंगे, उसको पढ़ने की लोगों को सुविधा देंगे । उर्दू पंजाब में भी पढ़ाई जाती है और हमारे यहां भी ।

साथ ही साथ लोग हिन्दी भी पढ़ते हैं । सरदारों और कायस्थ फैमिलीज में उर्दू बहुत चलती है । अच्छी से अच्छी उर्दू वहां लोग जानते हैं । मैं इस एवान से कहना चाहता हूं कि उर्दू, फारसी मे स्वतः जानता हूं और उर्दू में बड़ी रूचि रखता हूं । मैं आपको उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

न पेमां शिकन हैं न गद्दार हैं हम
वतन परवरी के खतावार हैं हम

उर्दू की हम मान मर्यादा को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है । हममें इस बात का गुमान होना चाहिए कि इस देश का नागरिक

[श्री शिव नारायण]

प्रत्येक भाषा बोल सकता है, हिन्दी बोल सकता है, संस्कृत बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, उर्दू बोल सकता है, हिन्दुस्तानी बोल सकता है। देश में एकता लाने के लिए देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हम को सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिये। एक रोज मैं बोलना चाहता था लेकिन चूंकि समय नहीं मिला इस वास्ते मैं बोल नहीं सका। मैं आज कहना चाहता हूं कि बाबू प्रेम चंद जी ने जो हिन्दी लिखी, उसमें उर्दू हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं के शब्दो का प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो भी साहित्य लिखा सिम्पल भाषा में लिखा जिस को हर आदमी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पंजाबी हो या मद्रासी, कोई भी हो, अगर वह थोड़ी सी भी हिन्दी जानता है तो पढ़ सकता है और समझ सकता है। मैं भी उसी सरल भाषा में बोल रहा हूं जिसको आप समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल सिम्पल हिन्दी, हिन्दुस्तानी में आपसे बोल रहा हूं। हमारे दाहिनी ओर माननीय कामत साहब बैठे हुए हैं वह भी हिन्दी बोलते हैं। बाल्मीकी जी से वह एक रोज कह रहे थे कि मैं भी हिन्दी बोल सकता हूं। उन्होंने बाल्मीकी जी से यह भी कहा कि तुम भी इंग्लिश जानते हो, समझ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हो। साहित्य और भाषा को समझाना, मैं मानता हूं, कठिन काम है। मैं अपर हाउस से आ रहा हूं। वहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं। उन्हों ने एक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है। अब फ्रेज को समझाना, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा को समझाना हर आदमी के लिए आसान नहीं है। इनेगिने आदमी ही समझ सकते हैं। विद्वान और पंडित ही साहित्य के मूल सूत्र को समझ सकते हैं, आम आदमी तो आम फहम भाषा ही समझ सकता है। इस देश में हमको सिम्पल हिन्दी का, जिसको हिन्दुस्तानी कहते हैं, प्रयोग करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास को कोट करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के जमाने में पाली भाषा थी। संस्कृत हटी तब उसके बाद पाली भाषा आई और पाली भाषा से हट कर हिन्दी आई। पृथ्वीराज चौहान के बाद, मुहम्मद गौरी वगैरह आए और इसके बाद हिन्दी आई। इसके पहले राजस्थानी थी। इस तरह से संस्कृत से पाली और पाली से हिन्दी आई और अब हिन्दी ज़रा मंज रही है। हिन्दी भाषा भाषियों से भी मैं कहना चाहता हूं, उनको भी मैं कसना चाहता हूं कि वह इस भाषा को संस्कृत-निष्ठ न बनायें और ऐसी भाषा न बनायें जिसको आम आदमी समझ न सके। यह साहित्य का प्रश्न है। हमको इसको इतना तूल नहीं देना चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये जिससे वैमनस्य देदा हो, या ट्रेंड में डिसयूनिटी पैदा हो।

हम देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, हमको करना चाहिये। अंग्रेजी की बात यहां की जाती है। इसको हमें इतना प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, जितना दिया जा रहा है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक साहित्य, एक जुबान और एक भाषा हो। अगर देश को ऊंचा उठाना हो तो उसकी एक जुबान, एक भाषा और एक साहित्य होना चाहिए और अगर उसको मिटाना हो तो उसके साहित्य को मिटा दो। देश को मिटाने के लिए अंग्रेज ने, मैकाले ने यही किया था। उसने बाबू पैदा किए, क्लर्क पैदा किए। आज हमको हिन्दुस्तान में अच्छा डाक्टर अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा जज, अच्छा वकील चाहिये। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम छोटी छोटी बातों में न पड़ें। यह हमें शोभा नहीं देता है। हमको

अपने देश के साहित्य की, अपने देश संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आचरण को दुरुस्त करना होगा और अपने बुजुर्गों के बताये हुए, अपने आचार्यों के बताये हुए रास्ते पर चलना होगा। राम चरित मानस जिसको महात्मा तुलसी दास जी ने लिखा है, कितनी सुन्दर और सरल भाषा में लिखा है, इसका एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है :

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।

कितनी सिम्पल भाषा में उन्होंने इस को लिख दिया है। पालिटीशियन उसको कितने ऊंचे पैमाने पर नाप सकते हैं। किसान जो गांव में रहता है वह इस को रामधुन में याद करता है। पंडित अपनी ही भाषा में इसको तौलता है.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपने को किस श्रेणी में गिनते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के एक मामूली किसान का बच्चा हूं और साधारण हिन्दी जानता हूं और इसलिए उसी पैमाने पर तौलता हूं। समझने की मैं जरूर सब चीज़ों की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जो प्रेम है वह बना रहे और देश ऊंचा उठे। इसलिए मैं बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों को कोट करता हूं। हमारे शर्मा जी यहां कह रहे हैं कि एक और शेर मैं सुना दूं...

अध्यक्ष महोदय : शेर सुनाने का अब वक्त नहीं है।

श्री शिव नारायण : मैं भी शेरों के चक्कर में नहीं हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि जितनी भी भाषाएं हैं, हिन्दी है, संस्कृत है और भी जितनी भाषाएं हैं, उन सब को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

आज इंग्लिश की बात की जाती है। आप के आशीर्वाद से मैं ने भी इंग्लिश पढ़ी है। वह आज देश की भाषा नहीं है। मैं उस का बड़ा घोर विरोध भी नहीं करता। मैं तो इस में विश्वास करता हूं कि अपने को मजबूत करो। किसी दूसरी भाषा को सीख लेने में कोई हानि नहीं, लाभ ही है। हम को फौरेन अफेयर्स के साथ डील करना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, अपने मुल्क में मद्रास आदि में जाना पड़ता है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आयेगी तो वहां हम एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे, राजगोपालाचार्य जी से बात नहीं कर सकेंगे, वह हम को नहीं समझ पायेंगे, हम उन को नहीं समझ पायेंगे। इंग्लिश जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन फर्स्ट फ़ेफ़ेस आप को हिन्दी को, जो कि राष्ट्र भाषा है, देना होगा। इस माननीय सदन ने और इस देश के नेताओं ने और यहां तक कि राजगोपालाचार्य जी ने भी हिन्दी को प्रोटैक्शन देने की बात को स्वीकार किया है और कहा था कि हिन्दी राष्ट्र भाषा होगी। इस वास्ते जो राष्ट्रभाषा है, वह सर्वोपरि रहेगी और बाकी जितनी भाषायें हैं, सब उस के नीचे रहेंगी। अगर कोई भाषा यह चाहे कि मैं राष्ट्र भाषा के ऊपर चढ़ जाऊं तो यह नामुमकिन है और इस को कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस का यह मतलब भी नहीं है कि जो अन्य भारतीय भाषायें हैं, उन को हमें दबा देना चाहिये। वे भी फले फूलें। हम तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा को प्रौटैक्शन मिले और देश का कल्याण हो।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, मैं ने अभी हमारे दोस्त दातार साहब की स्पीच को सुना है। उन्होंने निहायत खूबसूरती और दिल को लुभा देने वाले अल्फाज में लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज की हिफाजत के लिये जो कुछ फरमाया है, वह यकीनन बहुत ही उम्मीद अफजा है। मगर सवाल यह है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज हिफ़ज़त की जो बात आप ने कही वह

[श्री मुहम्मद ताहिर]

क्या सिर्फ इस हाउस में कहने की है या उस पर अमल करने की भी जरूरत है। सवाल यही है। मैं उन से कहूंगा कि इस हाउस में बात कहने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उस पर अमल न करें। आप ने होम मिनिस्ट्री के प्रेस नोट का हवाला दिया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने एक प्रेस नोट उर्दू के बारे में इशू किया था तमाम स्टेट्स को और सब स्टेट्स ने उस को एक्सेप्ट किया था। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस बात को कई बरस हो गये हैं, क्या किसी स्टेट ने उस पर अमल किया है और अगर अमल किया है तो वह बतायें कि इस तरीके से उन्हों ने अमल किया है। अगर आप इस को बता सकें तो मैं समझता हूं कि कुछ इस में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि किसी बात पर भी उन्हों ने सही अमल नहीं किया है। इस से मालूम होता है कि सैंटर और स्टेस में बिल्कुल तफावुत नहीं है, वे एक दूसरे की बात को सूनना चाहते हैं।

हमारे एक दोस्त ने जो वैस्ट बंगाल से आते हैं कहा कि ईस्ट बंगाल और वैस्ट बंगाल में कहीं भी उर्दू बोली नहीं जाती है और उर्दू वहां किसी सैक्शन की जुबान नहीं है। मैंने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन की यह बात बिल्कुल गलत है। एस्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट को आप देखें, उस में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार के उस हिस्से को जो कि बंगाल में दिया गया है और जो किशनगंज का एरिया है, उस में उर्दु जबान चलती है और वैस्ट बंगाल को चाहिये कि उस एरिया के लिये आफिशियल लैंगुएज वह उर्दू करे, कोर्ट लैंगुएज उर्दू करे। लेकिन आज भी वैस्ट बंगाल में उर्दू नाम की कोई चीज नहीं है। इस को तो आप छोड़ दें, लेकिन हिन्दी जो कि नेशनल लैंगुएज है उस में भी अगर आज आप कोई दरख्वास्त वगैरह ले कर किसी कोर्ट में जायें, तो नामुमकिन है, कि उस को एक्सेप्ट कर लिया जाये। उस को फाड़ कर फेंक दिया जाता है। यह हश्र वहां हिन्दी तक का है। उर्दू जिस के बारे में कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उर्दू वहां की जबान होनी चाहिये, नहीं हो रही है। यह ठीक है कि सैंटर का जो प्रैस नोट होता है, उस को जो हिदायात होती हैं, उन को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उन पर अमल करने के लिये तैयार नहीं होते हैं।

हमारे त्यागी साहब ने अजीब फलसफा बयान किया है। उन्हों ने कहा है कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के बारे में जो कहा जाता है और जो स्लोगन रेज किया जाता है, यह बिल्कुल खराब है, इस से असली इंटेग्रेशन नहीं हो सकता है। मुझे कहना पड़ता है कि यहां एक मुल्क नहीं है जहां लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का सवाल है। आप रशिया में चले जायें, फिनलैंड में चले जायें, स्विटजरलैंड में चले जायें, वहां पर कितनी ही लैंगुएजिज हैं लेकिन ऐसा होने पर भी वहां नैशनल इंटेग्रेशन है, कौमी एकता जरूर है। वहां पर तमाम जो माइनोरिटीज हैं, उन को जो लैंगुएजिज हैं, उन को आफिशियल लैंगुएज में शुमार किया गया है।

यहां पर स्कूलों में टैक्स्ट बुक्स का जिक्र भी किया गया है। इन टैक्स्ट बुक्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुलाहिजा फरमायें, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की टैक्स्ट बुक्स का, तो आप को अफसोस होगा। वाकई यह टैक्स्ट बुक्स वहां ऐसी तैयार की जाती हैं जिन में खास तौर से सबक दिया जाता है कि किस तरीके से हिन्दू और मुसलमानों में नफरत हो जाये या नफरत होनी चाहिये। टैक्स्ट बुक्स में यह खास तौर से बतलाया जाता है।

17 hrs.

एक माननीय सदस्य : आज कल ऐसा नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर : ऐसी बात है म इसे बतला सकता हूं, मरे पास सबूत हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : (वगहा) आप सबूत दीजिये । कुछ यहां पर कोट तो कीजिये जिस से यह पता चल सके ।

श्री शिव नारायण : अभी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश में पब्लिकली अनाउन्स किया है कि उर्दू को प्रोटैक्शन दिया जायेगा ।

श्री मुहम्मद ताहिर : प्रोटैक्शन की बात तो वह कहते हैं, लेकिन आगर आप टैक्स्ट बुक्स देखें तो हैरान होंगे कि इस किस्म के सबक बच्चों के हजहन में दिये जाते हैं जिन से की मुसलमानों और हिन्दुओं में नफरत हो । टैक्स्ट बुक्स ऐसी होनी चहिये . . . .

अध्यक्ष महोदय : order, order मेम्बर साहबान को सुन लेना चाहिये । जो जवाब देना चाह मैं बाद में उन को बुला लूंगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अखबार वाले और दुनियां वाले यह कहेंगे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को तो मैं मौका दे चुका । आप कहें तो मैं अब दूसरे लोगों को बुला लूं ।

एक माननीय सदस्य : मैं खुद टीचर हूं । मैं जानता हुं कि इस तरह से नहीं हो रहा है ।

श्री मुहम्मद ताहिर : आप टीचर होंगे, लेकिन अगर स्पीकर साहब इजाजत दें तो मैं उन किताबों को भी यहां पेश कर दूंगा जिन में इस किस्म की बातें लिखी गई हैं ।

श्री बड़े : मेरा कहना यह है कि आप कोई इस तरह का इन्स्टेंस कोट कीजिये जिस में टैक्स्ट बुक्स में हिन्दू और मुसलमानों के बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश की गई हो ।

श्री मुहम्मद ताहिर : मैं बतऊंगा । अगर मुझे वक्त दिया गया तो मैं स्पीकर साहब के सामने उन किताबों को हाजिर कर दूंगा निजन में इस स्किम की नफरत का इजहार किया जाता है । यह गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मेम्बर साहब से कहुंगा कि यह बात ऐसी है जिस का यहां सुनने वालों पर भी और जो बाहर सुनेंग उन पर भी गहरा असर होगा । इस लिये जब तक मेम्बर साहब के पास इस का पूरा सबूत न हो, या वह नाम न दे सकें कि यह किताब है, तब तक इस से गलतफहमी होने का अन्देशा है । किसी भी मेम्बर साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस के लिये वह खुद जिम्मेदारी से सुबूत न दे सकें । आम बात को इतनी दूर तक ले जाना ठीक नहीं है क्योंकि इस का आम तौर पर जो असर पड़ेगा वह भी अच्छा नहीं होगा और अन्दर वाले मेम्बर साहब भी इस बात पर नाराज हो रहे हैं ।

श्री मुहम्मद ताहिर : मैं इस का सबूत दे सकता हुं । अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं किताबें भी पेश कर सकता हुं ।

अध्यक्ष महोदय : शायद किसी किताब में प्रिंटर्स ने "न" का लफ्ज न लिखा हो । मुमकिन है कि प्रिंटर्स से गलती हो गई हों ।

श्री मुहम्मद ताहिर : यह हो सकता है । दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हुं वह अप्वाइंटमेंट्स के बारे में है । हमारे दातार साहब ने कहा है कि उन्हों ने लिंग्विस्टिक माइनारिटीज की हिफाजत के लिये दो बातें बतलाई हैं, यानी एक को तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को रिस्पांसिबल बतलाया है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेबेल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है : मैं उन से कहूंगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज की हिफाजत हो तो आप इस्टट्स के सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर इस चीज को न छोड़ें । इसलिये कि उन के पास फुर्सत कहां है कि वह इन बातों को

[श्री मुहम्मद ताहिर]

देखें। कम से कम उन के साथ आप एक कमेटी बना दीजिये। जिस में लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के दो चार मेम्बर हों, और वे उन को बतलायें कि इस तरह से अप्वाइंटमेंट्स हुई हैं, इंडस्ट्रीज में या विजिनेस में किस तरह से माइनारिटीज के साथ बेइंसाफी की जा रही हैं। तभी चीफ मिनिस्टर उस में ठीक से हिस्सा ले सकते हैं और बेइंसाफियों को दूर कर सकते हैं।

इसी तरह से आप डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर ले लीजिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस के साथ एक ऐसी कमेटी बना दीजिये जिस में लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लोग हों, कुछ नान-आफिशिएल मेम्बर्स के दे दीजियें, उस में पार्लियामेंट के मेम्बर्स हों, लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स हों। उन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ लगा दीजिये ताकि वह देखें कि जिलेवार एप्वाइंटमेंट्स में हर तरीके से लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के हूकूक की हिफाजत हो रही है या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी कुछ कामयाबी हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दें तो मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स पन्द्रह वर्ष से काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पन्द्रह वर्ष से काम कर रहे हैं। कहां उन्हों ने माइनारिटीज की हिफाजत की? अगर वह ऐसा करते तो यह आवाज आज हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा न होती? मैं नहीं कहता कि वह खुद इस चीज को नहीं चाहते हैं, मगर उन के पास वक्त नहीं है। स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स के पास इतना ज्यादा काम आता है कि वह इसे देख नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों को उन के साथ मिला दीजिये, उन के साथ जोड़ दीजिये, तो वे हमेशा इसे देखेंगे और बतलायेंगे कि कहां कहां माइनारिटीज के साथ बेइन्साफी की जाती है। आप इस पर गौर कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन का ख्याल भी इन लोगों की तरफ जायेगा और वह इस पर ध्यान देंगे।

मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं और इन अल्फाज के साथ खतम करता हूं।

[جناب سپیکر صاحب - میں نے ابھی ہمارے دوست داتار صاحب کی سپیچ کو سنا ہے - انہوں نے نہایت خوبصورتی اور دل کو لبھا دینے والے الفاظ میں لنگوسٹک مائینوریٹز کی حفاظت کے لئے جو کچھ فرمایا ہے وہ یقیناً بہت ہی امید افزا ہے - مگر سوال یہ ہے کہ لنگوسٹک مائینوریٹیز کی حفاظت کی جو بات آپ نے کہیں وہ کیا صرف اس ہاؤس میں کہنے کی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے - سوال یہی ہے - میں ان سے کہونگا کہ اس ہاؤس میں بات کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں - آپ نے ہوم منسٹری کے پریس نوٹ کا حوالہ دیا ہے - میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک پریس نوٹ اردو کے بارے میں اشوع کیا تھا تمام سٹیٹس کو اور سب سٹیٹس نے اسکو ایکسیپٹ کیا تھا - مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو کئی برس ہو گئے ہیں - کیا کسی سٹیٹ نے اس پر عمل کیا ہے اور عمل کیا ہے تو وہ بتائیں کہ اس اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے - اگر آپ اس کو بتا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے

تک کا ھے - اردو جس کے بارے میں کمیشن کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ھے کہ اردو وھاں کی زبان ھونی چاھئے نہیں ھو رھی ھے - یہ ٹھیک ھے کہ سینٹر کو پریس نوٹ ھوتا ھے اسکی جو ھدایات ھوتی ھیں ان کو ایکسیپٹ تو کر لیتے ھیں لیکن ان پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ھوتے ھیں -

ھمارے تیاگی صاحب نے عجیب فلسفہ بیان کیا ھے - انھوں نے کہا ھے کہ لنگوسٹک مائینوریٹیز کے بارے میں جو کہا جاتا ھے اور جو سلوگن ریز کیا جاتا ھے وہ بالکل خراب ھے - اس سے نسلی انٹیگریشن نہیں ھو سکتا ھے - مجھے کہنا پڑتا ھے کہ یہی ایک ملک نہیں ھے جہاں انٹیگریشن مائینوریٹیز کا سوال ھے - اُب رشیا میں چلے جائیں - فن لینڈ میں چلے جائیں - سوئٹزر لینڈ میں چلے جائیں - وھاں پر کتنی ھی لینگویجز ھیں لیکن ایسا ھونے پر بھی وھاں نیشنل انٹیگریشن ھے - قومی ایکتا ضرور ھے - وھا پر تمام جو مائینوریٹیز ھیں ان کی جو لینگویجز ھیں ان کو آفیشل لینگویجز میں شمار کیا گیا ھے -

یہاں پر سکولوں میں ٹیکسٹ بکس کا ذکر بھی کیا گیا ھے - ان ٹیکسٹ بکس کے بارے میں میں کہنا چاھتا ھوں کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اتر پردیش کے پرائمری سکولوں کی ٹیکسٹ بکس کا تو آپ کو افسوس ھو گا -

لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ھوں کہ کسی بات پر بھی انھوں نے صحیح عمل نہیں کیا ھے - اس سے معلوم ھوتا ھے کہ سینٹر اور سٹیٹس میں بالکل تفاوت ھے - وہ ایک دوسرے کی بات کو سننا نہیں چاھتے ھیں -

ھمارے ایک دوست نے جو ویسٹ بنگال سے آئے ھیں کہا کہ ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں کہیں بھی اردو بولی نہیں جاتی ھے اور اردو وھاں کسی سیکشن کی زبان نہیں ھے - مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ھے کہ ان کی یہ بات بالکل غلط ھے - سٹیٹس ری آرگینائیزیشن کمیشن کی رپورٹ کو آپ دیکھیں - اس میں صاف صاف لکھا ھوا ھے کہ بہار کے اس حصے کو جو کہ بنگال میں دیا گیا ھے اور جو کشن گنج کا ایریا ھے - اس میں اردو زبان چلتی ھے اور ویسٹ بنگال کو چاھئے کہ اس ایریا کے لئے آفیشل لینگویج وہ اردو کرے - کورٹ لینگویج وہ اردو کرے - لیکن آج بھی ویسٹ بنگال میں اردو نام کی کوئی چیز نہیں ھے - اس کو تو آپ چھوڑ دیں - لیکن ھندی جو کہ نیشنل لینگویج ھے اس میں بھی اگر آج آپ کوئی درخواست وغیرہ لے کر کسی کورٹ میں جائیں تو ناممکن ھے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے - اس کو پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ھے - یہ حشر وھاں ھندی

[شری محمد طاہر]

واقعی یہ ٹیکسٹ بکس وہاں ایسی تیار کی جاتی ہیں جن میں خاص طور سے سبق دیا جاتا ہے کہ کس طریقہ سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت ہو جائے یا نفرت ہونی چاہئے - ٹیکسٹ بکس میں یہ خاص طور سے بتلایا جاتا ہے -

ایک مانلیہ سدسیہ : آج کل ایسا نہیں ہے -

شری محمد طاہر - ایسی بات ہے - میں اسے بتلا سکتا ہوں - میرے پاس ثبوت ہیں -

श्री क० ना० तिवारी : (वगहा) : आप सुबूत दीजिये । कुछ यहां पर कोट तो कीजिये जिस से यह पता चल सके ।

श्री शिवनारायण : अभी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश में पब्लिकली अनाउन्स किया है कि उर्दू को प्रोटेक्शन दिया जायेगा ।

شری محمد طاہر - پروٹیکشن کی بات تو وہ کہتے ہیں - لیکن اگر آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ اس قسم کے سبق بچوں کے ذہن میں رٹے جاتے ہیں جن سے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت ہو - ٹیکسٹ بکس ایسی ہونی چاہئے(interruption)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर मेम्बर साहबान को सुन लेना चाहिये । जो जवाब देना चाहे में बाद में उन को बुला लूंगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : (गंगानगर) अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अखबार वाले और दुनिया वाले यह कहेंगे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो मैं मौका दे चुका । आप कहें तो मैं अब दूसरे लोगों को बुला लूं ।

एक माननीय सदस्य : मैं खुद टीचर हूं । मैं जानता हूं कि इस तरह से नहीं हो रहा है ।

شری محمد طاہر - آپ ٹیچر ہوں گے - لیکن اگر اسپیکر صاحب اجازت دیں تو میں ان کتابوں کو بھی یہاں پیش کردونگا جن میں اس قسم کی باتیں لکھی گئی ہیں -

श्री बड़े : मेरा कहना यह है कि आप कोई इस तरह का इन्स्टेंस कोट कीजिय जिस में टैक्स्ट बुक्स में हिन्दू और मुसलमानों के बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश की गई हो ।

شری محمد طاہر - میں بتلاؤں گا - اگر مجھے وقت دیا جائے تو میں اسپیکر صاحب کے سامنے ان کتابوں کو حاضر کر دونگا جن میں اس قسم کی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے - یہ غلط چیز ہے - ایسا نہیں ہونا چاہئے -

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मेम्बर साहब से कहूंगा कि यह बात एसी है जिसका यहां सुनने वालों पर भी और जो बाहर सुनेंगे उन पर भी हरा असर होगा इसलिय जब तक मेम्बर साहब के पास इसका पूरा सुबूत न हो या वह नाम न दे सकें कि यह किताब है तब तक इससे गलतफहमी होने का अन्देशा है किसी भी मैम्बर साहब को एसी बात नहीं

कहनी चाहिये जिसके लिय वह खुद जिम्मेदारी स सुबूत न दे सकें आम बात को इतनी दूर तक ले जाना ठीक नहीं है क्योंकि इसका आम तौर पर जो असर बाहर पड़ेगा वह भी अच्छा नहीं होगा और अन्दर वाले मैम्बर साहब भी इस बात पर नाराज हो रहे हैं ।

شری محمد طاہر . میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں - اگر مجھے اجاظت ملے تو میں کتابیں بھی پیش کر سکتا ہوں -

अध्यक्ष महोदय : शायद किसी किताब में प्रिंटर्स ने "न" का लफ्ज न लिखा हो मुमकिन है कि प्रिंटर्स से गलती हो गई हो ।

شری محمد طاہر - یہ ہو سکتا ہے - دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اپوائنٹمینٹس کے بارے میں ہے - ہمارے داتار صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے لنگوسٹک مائناریٹیز کی حفاظت کے لئے دو باتیں بتلائی ہیں یعنی ایک تو اسٹیٹس کے چیف منسٹر کو رسپانسبل بتلایا ہے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے - میں ان سے کہونگا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لنگوسٹک مائناریٹیز کی حفاظت ہو تو آپ اسٹیٹس کے صرف چیف منسٹرس پر اس چیز کو نہ چھوڑیں اس لئے کہ ان کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ ان باتوں کو دیکھیں کم سے کم ان کے ساتھ آپ ایک بنا دیجئے جن میں لنگو سٹک مائناریٹیز کے دو چار ممبر ہوں - اور وہ انکو بتلائیں کہ کس طرح سے اپوائنٹمینٹس ہوتے ہیں - ایڈمنسٹریٹیز میں یا بزنیس میں کس طرح سے مائناریٹیز کے ساتھ بے انصافیاں کی جاتی ہیں - تبھی چیف منسٹر اس میں ٹھیک سے حصہ لے سکتے ہیں - اور بے انصافیوں کو دور کرسکتے ہیں -

اسی طرح سے آپ ڈسٹرکٹ لیول پر لے لیجئے - ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کے ساتھ ایک ایسی کمیٹی بنا دیجئے جس میں لنگوسٹک مائناریٹیز کے لوگ ہوں - کچھ نان آفشل ممبر دیدیجئے - اس میں پارلیمینٹ کے ممبر ہوں لیجسلیچرس کے ممبرس ہوں - ان کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کے ساتھ لگا دیجئے تاکہ وہ دیکھیں کہ صلح وار اپوائنٹمینٹس میں ہر طریقہ سے لنگوسٹک مائناریٹیز کے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں - اگر آپ ایسا کرینگے تبھی کچھ کامیابی ہو سکتی ہے - لیکن اگر آپ صرف چیف منسٹرس یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کے اوپر چھوڑ دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹرس پندرہ برس سے کام کر رہے ہیں - ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس پندرہ برس سے کام کر رہے ہیں - کہاں انہوں نے مائناریٹیز کی حفاظت کی - اگر وہ ایسا کرتے ہیں

[شری محمد طاہر

آواز ہندوستان کے اندر پیدا نہ ہوں :
میں نہیں کہتا کہ وہ خود اس چیز
کو نہیں چاہتے ہیں - مگر ان کے
پاس وقت نہیں ہے - اسپیٹس میں
ان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کے پاس
اتنا زیادہ کام آتا ہے کہ وہ اسے دیکھ
نہیں سکتے ہیں - اگر آپ کچھ لوگوں
کو ان کے ساتھ ملا دیجئے - ان کے ساتھ
جوڑ دیجئے وہ ہمیشہ اسے دیکھینگے-
اور بتلائیں گے کہ کہاں کہاں مائنارٹیز
کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے - آپ
اس پر غور کیجئے - اگر آپ ایسا
کریں گے تو ان کا خیال بھی ان لوگوں
کی طرف جائیگا اور وہ اس پر دھیان
دیں گے -

میں اور زیادہ کچھ نہیں کہنا
چاہتا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ ختم
کرتا ہوں -]

श्री क० न० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान रिपोर्ट के उस पैरा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिन में बहुत सी लैंग्वेजेज के बारे में लिखा गया है कि कार्रवाइयां हो रही हैं

अध्यक्ष महोदय : आप पहले जिस बारे में इंटरप्ट कर रहे थ उसका जवाब क्यों नहीं देते ? जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तब आप बार बार इंटरस्ट कर रहे थ । और आपके पास जवाब है तो पहले उसी पर बोल लीजिय ताकि उनका जवाब हो जाय ।

श्री क० ना० तिवारी :वह मैं दे रहा हूं ।

अभी तक जितनी बातें कही गई हैं उनमें उर्दू के सम्बन्ध में बोलने वालों ने खास तौर से अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ उर्दू के बारे में कहा है और हिन्दी की पुस्तकों के बारे में कहा है कि एसी टैक्स्ट बुक्स हैं, और एसी किताबें हैं, जिनमें मुसलमानों के प्रति नफरत फैलती है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने कोई एसी किताब हिन्दी की टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखी जैसी कि, अध्यक्ष महोदय आपने भी कहा कि अगर कोई माननीय सदस्य इस हाउस में एसी बातें करते हैं तो उसका बहुत खराब असर बाहर भी पड़ता है और जो नेशनल इंटग्रेशन की बात है उसको भी बहुत जबर्दस्त धक्का लगता है । यही नहीं, जो सेक्शन मुसलमान लोगों का है, जिन्हें हम माइनारिटी के लोग कहते हैं उनके साथ जो सुन्दर व्यवहार होना है इस तरह की बातों स उन पर भी बहुत खराब असर पड़ता है और जो आपस में हिन्दू मुसलमानों और दूसरी जातियों के सम्बन्ध हैं उन में भी बहुत तफर्का आता है इसलिय मेरा निवेदन है कि अगर कोई इस तरह की बात है तो बिना उसको दिखाय हुए बिना उस का रिफरेंस दिय हुए इस तरह की बातें माननीय सदस्य को नहीं कहनी चाहियें जहां तक हम लोगों का अपना खयाल है, कोई ऐसी किताब नहीं है । खास तौर से टक्स्ट बुक्स की प्रादेशिक सरकारें जांच करती हैं, केन्द्रीय सरकार जांच करती है, हर सतह पर उन की जांच होती है, तब जाकर वह टैक्स्ट बुक्स पास की जाती हैं । इस के लिय कमेटी होती है । अगर कोई ऐसी बातें किसी टेक्स्ट बुक में होती हैं तो वह किताब पास नहीं की जाती । इसलिये यह कहना कि

इस तरह की किताबें हैं, मैं समझता हूं कि गलत है ।

दूसरे मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि उड़ीसा के एक विरोधी माननीय सदस्य ने कहा है कि जब से बिहार में उड़ीसा का कुछ हिस्सा चला गया है, उड़िया के ऊपर वहां की सरकार का ध्यान नहीं है और वह सप्रेस की जाती है, उसकी बढ़ोत्तरी नहीं होती । इस के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट का सेकेन्ड एडीशन है उस के पेज १६ पर जो पैराग्राफ ४३ है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं :

"This report, as has already been stated, is for the period ending 31st July 1959. No complaints were received from the Oriya linguistic minorities by this office and even when the Commissioner or the Assistant Commissioner visited Bihar no allegation was made that educational facilities provided to Oriya speaking minorities in the Dhalbhum sub-division and in Saraikela and Kharasawan were not adequate. The State Government have, however, supplied facts and figures regarding number of Hindi, Oriya and Bengali Schools in the Seraikela and Kharasawan areas of the district of Singhbhum. These figures are given in Appendix O".

स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है ३१८ । उस में हिन्दी के टीचर्स हैं १०, बंगाली का १ और उड़िया के ५ । इसी तरह से खरसवां में विद्यार्थियों की संख्या है ३१७ । उसमें हिन्दी के टीचर्स हैं १०, बंगाली के २ और उड़िया के ५ । यह फिगर्स इसमें दिये हुए हैं ।

"From the figures given it will appear that before the merger there was one High School, five Middle Schools and 53 Primary Schools in this area in which there was provision for teaching through the Oriya medium. As against these figures there are at present 2 such High Schools, 9 Middle Schools and 49 Primary Schools. The reduction in the number of Primary Schools is explained by the upgrading of four Primary Schools to Middle standard. As against one Middle School and 14 Primary Schools with Bengali medium before merger there are at present six Middle Schools and 42 Primary Schools."

दूसरी बात अभी हमारे एक भाई ने यह कही कि उर्दू का प्रिफरेंस नहीं मिलता और उरदू को दबाया जाता है । हमारा खयाल यह है कि वह प्रोपेगेंडा ज्यादा है और ये लोग फैक्ट्स में जाने की कोशिश नहीं करते । इस रिपोर्ट में बिहार के बारे में लिखा है :

"A summary of the points raised in the various representations were supplied to the State Government. The reply of the Bihar Government along with the statement in a tabular form is given in Appendix F."

मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि अपेंडिक्स एफ में देखें । उसमें लिखा है :

"It will be clear from the said statement that Urdu is being taught in all the colleges mentioned in the representation made by the Bihar Students Urdu Congress except the Sahibganj College."

और आगे कहा है :

"As regards teaching of Urdu at the Post-graduate stage, provisions exist for teaching of Urdu in the Patna University, and the State Government feel that it is not necessary to introduce Urdu at the Post-graduate stage in the Bihar University. The number of Urdu teachers in schools and colleges was not disproportionate to the Urdu knowing people in the State. It will, thus, be seen that the facilities provided to the Urdu speaking minority in the State are not unsatisfactory."

[श्री क० न० तिवारी]

अभी हमारे दोस्त ने जो छोटा नागपुर की तरफ से आए हैं कहा कि उनकी भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसके बारे में इस रिपोर्ट के पेज ६ पर लिखा है उसको वह पढ़ लें । इसमें लिखा है :

"The languages to be accepted as mother-tongue for the purposes of this resolution will be Hindi, Bengali, Oriya, Urdu, Maithili, Santhali, Oraon, He, Mundari and for Anglo-Indian pupils, English."

तो इस तरह से केवल प्रोपेगेंडे के लिये इस प्रकार की बातें कह दी जाती हैं और लोग रिपोर्ट में नहीं जाते और उसको नहीं देखते और इस प्रकार की बातें चाहे वे उड़ीसा के अपोजीशन के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों कह देते हैं । इस प्रकार की बातें कह कर देश में जहरीला वातावरण फैलाना उचित नहीं है । मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट में काफी मैटीरियल दिया गया है । इसकी तरफ माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिए ।

एक बात मैं संस्कृत के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कर दें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय मैं बड़े संक्षेप में एक बात की ओर सदन ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । मननी सदस्य श्री ताहिर को गवर्नमेंट से यह शिकायत है कि गृह मन्त्रालय की ओर से जो इस प्रकार के प्रेस नोट राज्यों को जाते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया जाता ।

अभी माननीय त्यागी जी ने कहा कि इस प्रकार के आन्दोलनों से, अर्थात् छोटी-छोटी भाषाओं का नारा लगाने से यह परिणाम हुआ है कि हमारे देश की अखण्डता खण्डित होती चली जा रही है । लेकिन ताहिर साहब का कहना है कि अगर छोटी छोटी भाषाओं को संरक्षण दिया जायेगा तो इससे देश की अखण्डता खण्डित नहीं होगी ।

तीसरी बात जिस पर उन्होंने विशेष जोर दिया है वह मेरा विचार है केवल इस सदन को सुनाने के लिये नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्रेस को सुनाने के लिये है । उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक हिन्दुस्तान में पढ़ायी जाती हैं कि जिनको पढ़ने से....

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं कहना चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा अपना निवेदन है कि यों.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब यहां बोल तो यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान प्रेस को कहने के लिये यह बात कही । यह आपको नहीं कहना चाहिये । यह ठीक नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कल परसों वहां के पत्रों मे देख लेंगे कि इस प्रकार की बहुत सी बात छपती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप के पास कोई सबूत न हो तब तक ऐसा कहना मुनासिब नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हू वह यह है कि जहां तक उन प्रेस नोटों के सम्बन्ध है जो गृह मन्त्रालय की ओर से प्रदेश सरकारों को भेजे जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया । इस सम्बन्ध में मैं इस रिपोर्ट में से ही कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । पहले मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध मे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा । सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि जब भी उर्दू का प्रश्न

आता है तो उसे एक सम्प्रदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ मिला दिया जाता है और उसी आधार पर उरदू की उन्नति या अवनति के सम्बन्ध में चर्चायें की जाती हैं । सम्प्रदाय विशेष के साथ उसको लगा कर उस आधार पर चर्चा की जाती है ।

मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े विशेष रूप से इस दृष्टि से देना चाहता हू कि संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहां उर्दू से चिपटे सम्प्रदाय विशेष की संख्या अधिक नहीं है जिसके लिये इतनी बड़ी सुविधायें दी जा रही हैं । यह गृह मन्त्रालय की नीति का ही परिणाम है कि वहां इस प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं । इस रिपोर्ट मे लिखा हैं कि सन् १९५५–५६ मे मध्य प्रदेश में उरदू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १६,६८६ थी और उनके लिये ५९१ अध्यापकों का प्रबन्ध किया गया । १९५६–५७ मे उरदू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १८,३३९ थी और उनके लिए ६२७ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी । इसी प्रकार सन् १९५७–५८ में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सख्या १९,७०५ थी जिनके लिये ६४७ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी ।

इसी प्रकार आप देख तो उत्तर प्रदेश मे ऐसे अध्यापकों की संख्या हजारों मे पहुंचती है । उत्तर प्रदेश में सन् १९५५–५६ में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी ७३,७०४ थे जिनके लिये २,६१० अध्यापकों की व्यवस्था की गयी । सन् १९५६–५७ में, २,७४४ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी ।

तो यह कह कर कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो प्रेस नोट राज्य सरकारों को जाते हैं उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है उस दल के एक सदस्य द्वारा जिसकी आज सरकार है । मेरा ऐसा अनुमान है कि यह संगत नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ दूसरा भाव छिपा प्रतीत होता है ।

दूसरी बात । एक पुस्तक के सम्बन्ध में इन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे एक एसी पुस्तक पढ़ायी जाती है जिससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच में आपस में वैमनस्य की खाई चौड़ी होती जाती है । होना तो यह चाहिए था, जैसा कि श्रीमन् आपने संकेत किया, कि यह दोषारोपण करने से पूर्व माननीय सदस्य उस पुस्तका का नाम या उस पाठ का नाम लिख कर लाते । लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का प्रतनिधित्व इस सदन में करता हूं इसलिये अपनी जानकारी के आधार पर पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करना चाहता हू कि जिस पुस्तक की चर्चा वह कर रहे थे उस पुस्तक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मे एक सम्प्रदाय विशेष की ओर से यह कहा गया था कि इस प्रकार की पुस्तक पढ़ायी जाती है जिससे दूसरे के धर्म का अपमान होता है और इसलिये इस पुस्तक को अमुक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं पढ़ेगे । उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री ने उस सम्बन्ध में अपनी सफाई भी दी थी । आज मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मामले में व्यवहारिकता और निष्पक्षता से ही काम नहीं लिया बल्कि सीमा से भी आगे बढ़ कर तुष्टि-करण का कार्य किया । उस पुस्तक का नाम "सरस्वती प्रकाश" या "सरस्वती चन्द्रिका" है । उसमें एक दो स्थानों पर इस प्रकार के प्रकरण आए हैं कि सरस्वती की पूजा कैसे की जाए ? उस सम्प्रदाय विशेष की ओर से शिका-यत की गयी कि हमारे बच्चे इस पुस्तक की नहीं पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री ने उनको आश्वासन दिया कि जब इस पुस्तक का अगला संस्करण छपेगा तो उसमें इस प्रकार का नोट चढ़ा दिया जाएगा कि उस सम्प्रदाय विशेष को बच्चों के उसे पढ़ने के लिये विवश न किया जाए ।

मैं समझता हूं कि आज जब हम इस देश मे एकता के वातावरण को दृढ़ करना चाहते हैं तो यह बात उचित नहीं थी कि इस कार का नोट चढ़ाया जाता । बल्कि होना

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तो यह चाहिए कि अगर दूसरे सम्प्रदाय के त्यौहारों के बारे में हिन्दू बच्चे जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उनको उसकी भी छूट दी जानी चाहिए और इसी प्रकार अगर दूसरे सम्प्रदायों के बच्चे हिन्दू त्यौहारों के बारे मे सीखें तो इससे एकता बढ़ेगी न कि एकता टूटेगी । लेकिन इस के पीछे जो भावना है वह कुछ और है । उसी के आधार पर ये सारी बात कही जा रही हैं ।

इस शिकायत के सम्बन्ध में कि जो प्रेस नोट केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता, मुझे एक और भी निवेदन करना है । कुछ समय पूर्व मुझे इस सदन मे पंजाब के एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वह स्थान गुड़गांव है जो कि दिल्ली से ६ मील चल कर है । उस डिपस्ट्रिक्ट में उस समय मुसलमान बहुत थोड़ी संख्या में थे । उन्होंने पंजाब सरकार को आवेदन पत्र दिया कि उनको उर्दू पढ़ने की सुविधा दी जाए । तो पंजाब सरकार ने बिना इस पात की अपेक्षा किए कि उस जिले में दूसरे सम्प्रदायों के बच्चों की संख्या कितनी है, उनके लिये उर्दू के पठन पाठन की व्यवस्था तुरंत कर दी । मेरा ऐसा निवेदन यह है कि जो इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं वे किसी जानकारी पर आधारित नहीं हैं ।

इसी प्रकार आप देखें कि काश्मीर में, आन्ध्र प्रदेश में जहां कहीं भी उर्दू के पठन पाठन की सुविधाओं की मांग की गयी वे सुविधायें उपलब्ध की गयीं । इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चर्चाए इस सदन मे न की जाए कारण इस प्रकार की चर्चाए केवल इस सदन की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहतीं बल्कि प्रेस वाले उनको दूसरे देशों तक पहुचाते हैं और दूसरे देशों सें उनको बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित किया जाता है । विशेष कर जब रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य कोई बात अपने मुंह सें निकालें तो उनको इस देश के स्वाभिमान और परम्परा का ध्यान रखना चाहिये और उनको यह बात भी अपने सामने रखनी चाहिये कि एक छोटे से सम्प्रदाय को सीमा से आगे बढ़ कर किस प्रकार सुविधाए दी जा रही हैं । और इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न न होना चाहिये ।

Mr. Speaker: Now, the debate is concluded. The hon. Minister will reply on the next day.

17.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 24, 1962/Bhadra 2, 1884 (Saka).